उत्तराखण्ड विधान सभा

18 मई, 2015 को उत्तराखण्ड विधानसभा में

भारत के राष्ट्रपति

माननीय श्री प्रणब मुखर्जी

के स्वागत में

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा

उत्तराखण्ड

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल

का

सम्बोधन

देहरादून, सोमवार, 18 मई, 2015 (बैशाख 28, शक सम्वत्, 1937)

भारत के मा0 राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, मा0 राज्यपाल श्री के0के0 पॉल जी, मा0 मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, मा0 नेता विपक्ष श्री अजय भट्ट जी, मा0 मंत्रीगण, मा0 सदस्यगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण, अधिकारीगण तथा पत्रकार बन्धुओं,

हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के मा0 राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी उत्तराखण्ड की विधान सभा को सम्बोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। उत्तराखण्ड विधान सभा की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत करता हूँ। हम हृदय से आभारी हैं कि आपने इस विधान सभा को सम्बोधित करने का हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। प्रदेश की विधायिका के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है जब आपके दीर्घ संसदीय, शासकीय, अर्थशास्त्रीय तथा राजनैतिक अनुभव, प्रतिभा तथा विचारों का लाभ हमें प्राप्त होगा।

देव भूमि उत्तराखण्ड अनेक महान विभूतियों की तपस्थली तथा आराध्य रही है। महान सन्त स्वामी विवेकानन्द ने उत्तराखण्ड के चम्पावत, लोहाघाट तथा अल्मोड़ा में पैदल भ्रमण किया और चम्पावत में मायावती आश्रम स्थापित किया। गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नैनीताल जनपद के रामगढ़ में प्रवास के दौरान अमर कृति गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना की। राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने भी अल्मोड़ा जिले के कौसानी में प्रवास के दौरान अनासक्ति योग के विषय में लिखा।

हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू को हिमालय की गोद में बसा उत्तराखण्ड सदैव प्रिय रहा। महान लेखिका महादेवी वर्मा भी प्रायः ग्रीष्मकाल में यहां प्रवास किया करती थीं। हमारा सौभाग्य है कि इसी कड़ी में देश के प्रथम नागरिक के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी का सामीप्य हमें प्राप्त हो रहा है। आशा है आपका उत्तराखण्ड प्रवास सुखद एवं स्मरणीय रहेगा।

मा0 राष्ट्रपति जी, अलग राज्य के रूप में उत्तराखण्ड 09 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया। विकास की तीव्र चाह मन में लिए हजारों लाखों उत्तराखण्ड वासियों ने राज्य निर्माण आन्दोलन में भाग लिया। इस अवसर पर मैं उन सभी शहीदों का हृदय से नमन करता हूं जिन्होंने जनभावनाओं को मूर्त रुप देने में अपने प्राण तक न्यौछावर किये। यह राज्य सदैव उनका ऋणी रहेगा।

उत्तराखण्ड विधान सभा की पहली बैठक 12 जनवरी, 2001 को हुई। तब से भारतीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धान्तों एवं परम्पराओं पर चलते हुए उत्तराखण्ड की विधान सभा ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किये हैं। 14 वर्षों की अल्पायु में ही इस सदन में 285 से अधिक विधेयक पारित हुए हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के दैनिक जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों के लिए एक मजबूत विधायी तंत्र की स्थापना हुई है।

राज्य में अब तक गठित तीनों विधान सभा के सदस्यों ने महत्वपूर्ण अवसरों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर प्रदेश के समक्ष चुनौतियों का मिलकर समाधान किया है। उन्होंने अपने ज्ञान, विवेक और परिश्रम से प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र की नींव मजबूत कर सशक्त उत्तराखण्ड का मार्ग प्रशस्त किया है। समय–समय पर नेता सदन और नेता विपक्ष के पद को सुशोभित करने वाले महानुभावों को भी मैं साधुवाद देता हूं जिन्होंने सदन में उच्च संसदीय परम्पराओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे विश्वास है कि ये परम्पराएं आगे चलकर और अधिक पल्लवित एवं समृद्ध होंगी।

महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जनभावनाओं के अनुरुप प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास पहुॅचाने के उद्देश्य से जनपद चमोली के गैरसैंण में गत वर्ष जून में विधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित किया

गया। नवीन गैरसैंण विधान भवन का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है।

मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि 'ग्रीन इनिशियेटिव' के रुप में पेपरलैस विधायिका की ओर बढ़ते हुए विधान सभा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रोसेस ऑटोमेशन की पहल की गई है। इसके अन्तर्गत विधान सभा तथा इसके सचिवालय के विभिन्न कार्यों को कम्प्यूटराइज किया जा रहा है जिससे सरकारी विभागों के साथ तारतम्य से मा0 सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं ऑनलाइन सुलभ हो सकेंगी।

भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र के गणतांत्रिक स्वरूप को अंगीकार किया गया है। राष्ट्र के संघीय ढं ाचे के स्वरूप को और अधिक मजबूती प्रदान किये जाने की आवश्यकता है, ताकि अनेकता में एकता की हमारी विरासत पूर्णरूपेण पुष्पित एवं पल्लवित हो सके। दलीय राजनैतिक व्यवस्था के बदलावों का संघीय ढांचे की मजबूती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस दिशा में माननीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन देश को सदैव मिलता रहेगा। हमें विश्वास है कि आपके गतिशील नेतृत्व में राष्ट्र के सभी विधान मंडलों के हित पूर्णतः संरक्षित रहेंगे।

मा0 राष्ट्रपति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका तथा अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करता हूँ।

जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड।

———————————